


मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री विकास पंचोली (RAS)

वादपत्र संख्या (717/2000, 449/2001) 279/2010

अनवान



तुलसीराम पिता ताराचन्द जाति धाकड़ (मृतक) :-

1. श्रीरालाल पिता तुलसीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी सा. खेड़ा हाल मुकाम अमृतपुरा तहसील बिजौलियां।

2. नानालाल पिता तुलसीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी सा. का खेड़ा तहसील बिजौलियां।

3. मु. सजनी पुत्री तुलसीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी सा. का खेड़ा तहसील बिजौलियां।

.....वादीगण

बनाम

1. रूपा पिता ताराचन्द जाति धाकड़ (मृतक) :-
 - 1.1 मु. बरजी बाई बेवा रूपा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी सा. का खेड़ा तहसील बिजौलियां।
 - 1.2 मोडी बाई पुत्री रूपा पत्नि बंशीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
 - 1.3 पुष्पा बाई पुत्री रूपा पत्नि नानालाल जाति धाकड़ उम्र निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
3. कन्हैयालाल पिता देवीलाल जाति धाकड़ (मृतक) :-
 - 3.1 श्रृंगारी बाई बेवा कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी सा. का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।
 - 3.2 कमलेश पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी सा. का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
 - 3.3 ओमप्रकाश पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी सा. का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
 - 3.4 रामकरण पिता कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी माजी सा. का खेड़ा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा।
4. ग्राम पंचायत उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत उमाजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

..... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-183-188 रा0टी0एक्ट

डिक्री दिनांक :- 16.01.2019

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कर्तई रूबरू न्यायालय उपखण्ड न्यायालय बिजौलियां बहाजरी अधिवक्ता वादी श्री जगदीशचन्द्र धाकड़ और प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री गिरधारीलाल आचार्य (प्रतिवादी संख्या 1 व 2) हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88-183-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तनकीयात के निर्णय के आधार पर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम फतहपुर तहसील बिजौलियां में स्थित आराजी नम्बर 196 रकबा 2 बिस्वा, आराजी नम्बर 369/197 रकबा 2 बीघा, आराजी नम्बर 370/198 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल कित्ता रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा भूनि एवं आराजी नम्बर 199 आहताचाह रकबा 4 बिस्वा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

लगातार पेज संख्या 02 पर

एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाकर वादी का नाम दर्ज रेकार्ड किया जावे एवं उक्त आराजीयात के कब्जेयावी की डिक्री वादी के पक्ष में पारित कर कब्जा वादी को प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा इस आशय कि स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादग्रस्त उक्त आराजीयात में वादी के कब्जे काशत, उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण कोई बाधा, दखलनदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे। संलग्न वाद (666/2000) 448/1 खारिज किया जाता है।

नीजNil.....मुबलिंग Nil
 बाबत् Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil फीस दी
 सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक Nil का अदा
 करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 01 वर्ष 2019 को जारी किया गया।



(विकास पंचोली)
 उपखण्ड अधीकारी
 विजौलिया - भीलवाडा

मुद	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया	-		स्टाम्प अरजीदया	-	
स्टाम्प वकीलात नामा	-		स्टाम्प वकीलात नामा	-	
स्टाम्प वजह सबूत	-		स्टाम्प वजह सबूत	-	
महनताना वकील ()	-		महनताना वकील ()	-	
खर्चा गवाह	-		खर्चा गवाह	-	
फीस कमीश्नर	-		फीस कमीश्नर	-	
बाबत् इजराय हुक्मनामा	-		बाबत् इजराय हुक्मनामा	-	
मुनफरिक	-		मुनफरिक	-	
मीजान			मीजान		

(विकास पंचोली)
 उपखण्ड अधीकारी
 विजौलिया - भीलवाडा